संख्या-3/2019/423/71-4-2018-एस-01/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा।

चिकित्स शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2019

विषयः-वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के गैर-वेतन मद के व अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4064/ई0/यूपीयूएमएस/2018-19 दिनांक 19.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-13/2018/262/71-4-2018, दिनांक 10-04-2018 के द्वारा गैर-वेतन मद में रू0 3750 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। आपके पत्र संख्या-4064/ई0/यूपीयूएमएस/2018-19 दिनांक 19.03.2019 के साथ उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के दृष्टिगत उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा को उनके नाम के सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 7500 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 3750 लाख (रूपया तीन हजार सात सौ पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

क्र० स०	**विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम**	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	2210-05-105-03-0328-रूरल इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सैफई, इटावा	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	3750.00
			योग-	3750.00

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
2- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखा जाएगा।
3- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4- स्वीकृति धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
5- धनराशि को कोषागार से संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलो पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या- 1-बी/2018/1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

संख्या:-3/2019/423(1)/71-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,) लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार,) सिविल आडिट (प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उआयुर्विज्ञान 0प्र0 विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त)आय-व्ययक (अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।